रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05022026-269850
CG-DL-E-05022026-269850

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 542] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 5, 2026/माघ 16, 1947
No. 542] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 5, 2026/MAGHA 16, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2026

का.आ. 571(अ) .— केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, 'जिला विधिक सेवा प्राधिकरण' , फरीदाबाद (पैन AAAJC0807B), जिसका गठन हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा राज्य के प्रत्येक जिले के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 39/1987) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया है, को उस निकाय को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचित करती है, यथा:-

(क) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रयोजनों के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, केन्द्रीय प्राधिकरण यथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा राज्य प्राधिकरण यथा हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त अनुदान;

(ख) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार या हरियाणा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान या दान;

(ग) न्यायालय के आदेश के तहत प्राप्त राशि;

(घ) भर्ती आवेदन शुल्क के तौर पर मिलने वाला शुल्क; और

(ड) बैंक डिपॉज़िट पर मिलने वाला ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'जिला विधिक सेवा प्राधिकरण' , फरीदाबाद-

(क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा ;

(ख) गतिविधियां और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करेगा ।

2.1 इन शर्तों का अनुपालन न करने पर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है और अधिनियम की धारा 10(46) के तहत दी गई छूट वापस ली जा सकती है।

3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2023-2024, 2024-2025 और 2025-2026 के लिए लागू हुई मानी जाएगी और कर निर्धारण वर्ष 2026-2027, 2027-2028 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 17 /2026 /फा. सं. 300196/64/2018-आईटीए-I(भाग-1)]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

स्पष्टीकरण-ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किये जाने से (बोर्ड/विभाग के समक्ष आवेदन किए जाने के वर्ष से) किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2026

S.O. 571(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'District Legal Service Authority', Faridabad (PAN AAAJC0807B), constituted by Government of Haryana for every District in the State of Haryana in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Central Act No. 39 of 1987), in respect of the following specified income arising to that body, namely:-

(a) Grants received from the Punjab and Haryana High Court, Central Authority i.e. National Legal Services Authority and State Authority i.e. Haryana State Legal Services Authority for the purposes of the Legal Services Authorities Act, 1987;

(b) Grants or donation received from the Central Government or the State Government of Haryana for the purpose of the Legal Services Authorities Act, 1987;

(c) Amount received under the order of the Court;

(d) Fee received as recruitment application fee; and

(e) Interest earned on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that 'District Legal Service Authority', Faridabad-

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and

(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

2.1 Failure to comply with these conditions may result in the initiation of penal actions under the provisions of the Income-tax Act, 1961 and withdrawal of the exemption granted u/s 10(46) of the Act.

3. This notification shall be deemed to have been applied for assessment years 2023-2024,2024-2025 and 2025-2026 and shall apply with respect to the assessment years 2026-2027, 2027-2028.

[Notification No. 17 /2026/ F. No. 300196/64/2018-ITA-I(Part-1)]

HARDEV SINGH, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect (with effect from the year of application made before the Board/Department) to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA